App – A

Crim-1

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

उनवान *तहसीलदार बनाम राजेश सिंह* — *किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र 136*

मुकदमा नम्बर 575/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.10.2025	आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय रिपोर्ट एवं सम्बन्धित दस्तावेजात के तहसीलदार निवाई की ओर से प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के आवेदन का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी ने भूमि खाता संख्या 124, 126, व खाता संख्या 190 वाके ग्राम बहकावा पटवार हल्का बिड़ोली तहसील निवाई की जमबान्दी संलग्न कर, अपनी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में राजेश सिंह करवाने का निवेदन किया जिस पर पटवार हल्का बिड़ोली व भू.अ.नि. बनस्थली की रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम राजू सिंह के बजाय राजेश सिंह होना बताया जाकर, शुद्ध किया जाना उचित बताया गया है। तथा तहसीलदार निवाई द्वारा भी प्रार्थी का नाम जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 124, 126 व 790 में प्रार्थी का नाम राजू सिंह पुत्र देवी सिंह के बजाय राजेश सिंह पुत्र देवी सिंह शुद्ध किये जाने हेतु लिखा गया है। ऐसे में न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार निवाई/पटवार हल्का बिड़ोली एवं भू.अ.नि. बनस्थली की रिपोर्ट के आलोक में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उपर्यूक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजू सिंह पुत्र देवी सिंह के स्थान पर राजेश सिंह पुत्र देवी सिंह शुद्ध कर पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	